फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

राकेश बनाम मनोज

केस संख्या : 66/25

केस संख्या	दिनांक या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	21.8.25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थिगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/8/25 को पेश हो।	
	25.08.25	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों के आधार पर मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थना-पत्र अस्थाई-निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 66 / 2025

राकेश पुत्र श्री बलराम, उम्र 31 वर्ष, जाति जाट, निवासी– ग्राम राजावास, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जडाव देवी पत्नी श्री बलराम
2. गरिमा पुत्री बलराम
3. रिकल पुत्री बलराम
4. सुनिता पुत्री श्री बलराम
5. सुशीला देवी पत्नी शैतान सुण्ड, जाति जाट
6. हनुमान पुत्र नाथू, जाति जाट,

   जातियान जाट, निवासीयान– ग्राम राजावास, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
7. सुमन शर्मा पत्नी श्री सुनील शर्मा, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी– प्लाट नम्बर एफ–36, ईडन गार्डन ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज.।
8. तहसीलदार, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर। 9.

......अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

उपस्थिति :–

(1) श्री अशोक शर्मा, भवानी सिंह बराला – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

(2) श्री बनवारी कुमावत – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से।

निर्णय दिनांक 25.08.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके ग्राम राजावास, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू. अभि.नि.क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के नया खाता संख्या 309 व पुराना खाता संख्या 279 के खसरा नम्बर 182 रकबा 0. 3600 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के साथ सहखातेदार काश्तकार है लेकिन उक्त कृषि भूमि का बकायदा कोई विभाजन नहीं हो रखा है। उपरोक्त वर्णित आराजी को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

7 मनबट के आधार से बंटवारा कर कृषि उपज प्राप्त करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य उक्त विवादग्रस्त आराजी का कानूनन तकासमा नहीं हो रखा। किसी भी सहकाश्तकार को विवादग्रस्त भूमि मे विशिष्ट भू—भाग का विक्रय करने अथवा निर्माण करने अथवा तार बाउण्ड्रीवाल करने का अधिकार नहीं है तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार अपने—अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की नियत में खोट आ गया है और अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 भूमि विवादग्रस्त के विशिष्ट भू—भाग में निर्माण कार्य कर/तार बाउण्ड्री कर भूमि का विक्रय करना चाहते है तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। इसी उद्देश्य से अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने दिनांक 25.05. 2025 को प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं हक हिस्से एवं अधिकार की उक्त विवादग्रस्त आराजी पर 3—4 अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये एवं फ्रन्ट की ओर नाप झोक करने लगे तथा तार बाउण्ड्री व पुख्ता डण्डे का निर्माण करने के लिए नीचं खोदने लगे तथा निर्माण सामग्री डालने की कहने लगे। जिस पर प्रार्थी द्वारा इसका कारण पुछा गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने कहा कि वे भूमि पर तार बाउण्ड्री कर निर्माण कार्य करेगे तथा निर्माण कार्य कर भूमि का बेचान करेगे तो प्रार्थी ने कहा कि पहले अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 अपनी भूमि का तकासमा करवा लेवे उसके पश्चात अपनी भूमि का जैसा चाहे उपयोग उपभोग करे, चाहे भूमि को रखे अथवा उसमें निर्माण करे, अथवा तार बाउण्ड्री करे अथवा बेचान करे परन्तु जब तक भूमि का विधिवत रूप से. मिटस एण्ड बाउण्डस पर तकासमा नहीं होगा तब तक अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 उक्त भूमि में ना कोई निर्माण कार्य करेगे और ना ही तार बाउण्ड्री करेगें और ना ही भूमि का विक्रय करेगे, ना ही भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करेगे तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि वे विवादग्रस्त भूमि का तकासमा नहीं करवायेगे और बिना तकासमा करवाये ही विवादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू—भाग में निर्माण कार्य करेगे तथा तार बाउण्ड्री कर भूमि को कृषि से अकृषि योग्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे तथा भूमि पर जबरन केता का कब्जा करवाकर रहेगे जिस कारण प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय की शरण में आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प किसी प्रकार से शेष नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 को कोई अधिकार नहीं है कि वे प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित अविभाजित आराजी भूमि का जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा न हो जावे तब तक उक्त आराजी अथवा उसके किसी भाग से प्रार्थी को किसी प्रकार से बेदखल कर, उसके कब्जे काश्त में व्यवधान कारित नहीं करे अथवा नहीं करावे अथवा भूमि में निर्माण कार्य नहीं करे अथवा ना ही करावे अथवा भूमि मे तार बाउण्ड्री नहीं करे अथवा नहीं करावे तथा प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की अविभाजित आराजी के उपयोग उपभोग किये जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा रूकावट नहीं कारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

करे अथवा किसी से नहीं करावे अथवा प्रार्थी के हिस्से की उपरोक्त अविभाजित आराजी अथवा उसके किसी विशिष्ट भू—भाग का विक्रय, हस्तान्तरित नहीं करे अथवा प्रार्थी के खातेदारी काश्तकारी व मालिकाना कानूनी अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं करे एवं न ही करावे एवं अप्रार्थी संख्या 8 को भी कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन—परिवर्द्धन नहीं करे एवं अप्रार्थी संख्या 9 को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपने यहां उक्त आराजी भूमि के विक्रय, हस्तान्तरण बाबत कोई दस्तावेज पंजीकृत करे, करावे । प्रार्थी उपरोक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा करवाकर अपने हिस्से के अनुसार कृषि भूमि को विभाजित करवाने के अधिकारी है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी अधिकारी है कि वह विवादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा करवाकर अपना खाता व लगान पृथक से कायम करावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के अधिवक्ता ने यूटी देने के उपरान्त ना तो वकालतनामा पेश किया ना ही उपस्थित हुये इसलिए दिनांक 22.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब पेश नहीं किया फलस्वरूप दिनांक 22.07.2025 को जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया किं प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अनुसार प्रार्थी द्वारा गलत व ' मिथ्या कथनो के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है परन्तु उसमे सफलता की आशा कल्पना मात्र हैं। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है कि वाके ग्राम राजावास, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में कृषि भूमि नया खाता संख्या 309 व पुराना खाता संख्या 279 के आराजी हाल खसरा नम्बर 182 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है गलत व असत्य होने पर अस्वीकार हैं जबकि वास्तविक तथ्य यह हैं कि मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा पूर्व सहखातेदार रामलाल पुत्र गिरधारी से उक्त भूमि में निहित उसके हिस्से की 0.09 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2021 के द्वारा कय कर खातेदार काबिज काश्तकार हुई व उक्त भूमि का पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कर लिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा कय की गई भूमि का मौके पर कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमति के आधार पर अप्रार्थी संख्या 7 को उसकी

सहायक कलक्टर
आमेर भू. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:09 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी कब्जे काश्त की अन्य भूमि खसरा नम्बर 191 में निहित उसके हिस्से की भूमि के पूर्व दिशा में सम्भलाया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा उसी समय उक्त खसरा नम्बर 182 में निहित अपने हिस्से की भूमि 0.09 हैक्टेयर भूमि पर पांच फीट उचाई का पुख्ता डन्डे का निर्माण कर बोरिंग बनाकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को अप्रार्थी संख्या 7 की उक्त भूमि में निहित उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने का कानूनन कोई हक व अधिकार हासिल नही हैं। जिसका नजरी नक्शा भी प्रस्तुत हैं जिसमें पीले रंग से दर्शित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 7 काबिज काश्त हैं। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है गलत व असत्य होने पर अस्वीकार हैं जबकि वास्तविक तथ्य यह हैं कि मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा पूर्व सहखातेदार रामलाल पुत्र भैरूराम से उक्त भूमि में निहित उसके हिस्से की 0.09 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 04.08.2021 के द्वारा कय कर खातेदार काबिज काश्तकार हुई व उक्त भूमि का पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कर लिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा कय की गई भूमि का मौके पर कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमति के आधार पर अप्रार्थी संख्या 7 को उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की अन्य भूमि खसरा नम्बर 191 में निहित उसके हिस्से की भूमि के पूर्व दिशा में सम्भलाया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा उसी समय उक्त खसरा नम्बर 182 में निहित अपने हिस्से की भूमि 0.09 हैक्टेयर भूमि पर पांच फीट उचाई का पुख्ता डन्डे का निर्माण कर बोरिंग बनाकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को अप्रार्थी संख्या 7 की उक्त भूमि में निहित उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने का कानूनन कोई हक व अधिकार हासिल नही हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 को उक्त कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन करवाने में कोई उज्ज व आपत्ति नही हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 को अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का हर तरह से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण हक व अधिकार हासिल हैं तथा प्रार्थी द्वारा उक्त मद में यह कथन गलत व मिथ्या अंकित किये हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की नियत में खोट आ गया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रार्थी की माता व बहिन हैं तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 भी प्रार्थी के परिवारजन ही हैं जो आपस मे मिलीभगत कर अनावश्यक ही अप्रार्थी संख्या 7 को हैरान, परेशान करना चाहते हैं तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत व मिथ्या कथनो के आधार पर उक्त मद में मनगढन्त दिनांक 25.05.2025 अंकित कर प्रस्तुत किया गया हैं। जबकि प्रार्थी को उक्त मद में अंकित दिनांक या अन्य किसी दिनांक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाबत कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ हैं तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा उक्त भूमि में निहित हिस्से का बेचान किया जा रहा हैं और ना ही उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित किया जा रहा हैं और ना ही विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य किया जा रहा हैं तथा प्रार्थी द्वारा उक्त मद मे धमकी दिये जाने के कथन भी गलत व मनगढन्त अंकित किये गये हैं। प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:09 IST
Reason: SelfAttested

मद संख्या 5 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है गलत व असत्य होने पर अस्वीकार हैं जबकि वास्तविक तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा उक्त भूमि में पूर्व सहखातेदार रामलाल के हक व हिस्से की 0.09 हैक्टेयर भूमि कय की गई तत्पश्चात पक्षकारो द्वारा उक्त भूमि का आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कर लिया गया व मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कर अप्रार्थी संख्या 7 को कब्जा सम्भला दिया गया जिस पर मौके पर अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा अपने हिस्से की भूमि के पांच फीट उचे डन्डे का निर्माण कर बोरिंग बनाकर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 को उक्त भूमि के कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन करवाने में कोई उज्ज व आपत्ति नही हैं तथा प्रार्थी को, अप्रार्थी संख्या 7 को उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 को अपने हक व हिस्से खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का कानूनन हक व अधिकार हासिल हैं। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है गलत व असत्य होने पर अस्वीकार हैं जबकि वास्तविक तथ्य यह हैं कि वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारो द्वारा आपसी सहमति के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा भी अपने हिस्से खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के चारो ओर पांच फीट उचे पुख्ता डन्डे का निर्माण कर बोरिंग बना कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 7 को उक्त भूमि के कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन करवाने में कोई उज्ज व आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 7 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है गलत व असत्य होने पर अस्वीकार हैं जबकि वास्तविक तथ्य यह हैं कि वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारो द्वारा आपसी सहमति के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 को उक्त भूमि के कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन करवाने में कोई उज्ज व आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है गलत व असत्य होने पर अस्वीकार है तथा वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारो द्वारा आपसी सहमति के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा भी अपने हिस्से खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के चारो ओर पांच फीट उचे डन्डे का निर्माण कर बोरिंग बना कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार काश्तकार है जिसको कानूनन किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी कतई भी पाबंद करवाने का अधिकारी नही है तथा कानूनन सहखातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में एक खातेदार दुसरे सहखातेदार को कतई पाबंद करवाने का अधिकारी नही हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है गलत व असत्य होने पर अस्वीकार है तथा वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

भूमि के सहखातेदारो द्वारा आपसी सहमति के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा भी अपने हिस्से खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के चारो ओर पांच फीट उचे पुख्ता डन्डे का निर्माण कर बोरिंग बना कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं तथा अप्रार्थी संख्या 7 वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार काश्तकार है जिसको कानूनन किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी कतई भी पाबंद करवाने का अधिकारी नही है तथा कानूनन सहखातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार को कतई पाबंद करवाने का अधिकारी नही हैं। अप्रार्थी संख्या 7 को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपुर्तनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 7 को होगी ना की प्रार्थी को होगी। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 12 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये हैं प्रार्थी स्वयं साबित करे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाने की कृपा करे।

विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के साथ सहखातेदार काश्तकार है लेकिन उक्त कृषि भूमि का बकायदा कोई विभाजन नहीं हो रखा है। उपरोक्त वर्णित आराजी को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 मनबट के आधार से बंटवारा कर कृषि उपज प्राप्त करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य उक्त विवादग्रस्त आराजी का कानूनन तकासमा नहीं हो रखा। किसी भी सहकाश्तकार को विवादग्रस्त भूमि मे विशिष्ट भू–भाग का विक्रय करने अथवा निर्माण करने अथवा तार बाउण्ड्रीवाल करने का अधिकार नहीं है तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परन्तु प्रार्थी ने यह कही भी साबित नहीं किया की अप्रार्थीगण प्रार्थी के कोनसे हिस्से पर निर्माण अथवा बेचान कर रहे है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड सहखातेदार एवं काश्तकार है, एक सहखातेदार द्वारा, दुसरे सहखातेदार को पाबंद करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, जैसा कि न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) PAGE 113 में प्रतिपादित किया है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:09 IST
Reason: SelfAttested